



मध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-लम्मुआ
सुलतानपुर

Email ID: eddlambhua@gmail.com

CIN: U31200UP2003SGC027459

पत्रांक 1142 / वि०वि०ख०-ल०(सु०)

/दिनांक 14/11/2023

कार्यालय ज्ञापन

एतद द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता का भार उनके आनलाइन आवेदन प्रार्थना पत्र के अनुरोध पर जमा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

क्रम संख्या	इकाई/घाटी का नाम	आवेदन संख्या	मोबाईल नं०	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी	स्वीकृत भार	विधा	प्रयोजन	विकास खण्ड
1.	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी हौसिला, महेसुआ	1008340272	7860992890	लम्मुआ	3 एचपी	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	मदैया
2	श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय पुत्र गयादीन पाण्डेय, पूरे जददू पकड़ी	1008341079	8601049214	लम्मुआ	3 एचपी	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	दूबेपुर
3	श्री हरदयाल सिंह पुत्र शिवबरन, कोथरा खूर्द	1008340756	9918043388	चांदा	3 एचपी	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	प्रतापपुर कमैचा
4	श्री मो० सद्दीक घोसी पुत्र बहराड़ी, लालीपुर त्रिसुण्डी	1008341188	9594586274	लम्मुआ	3 एचपी	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	मादर
5	श्रीकान्त उपाध्याय पुत्र बलदेव, डड़ारी	1008341302	8765268093	चांदा	3 एचपी	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	लम्मुआ
6	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र चन्दबली सिंह, बहरोली, दूबेपुर	1008341709	8090028300	लम्मुआ	3 एचपी	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	दूबेपुर
7	श्री हीरालाल उपाध्याय पुत्र रामप्रसाद, अधियारी	1008341977	8737001311	चांदा	5 एचपी	Lmv-5	कृषि कार्य हेतु	प्रतापपुर कमैचा

नियम:-

- उपभोक्ता के नाम व इकाई के माध्य कोई भी न्यायिक विवाद है तो उक्त दशा में भार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- उपभोक्ता का नाम से पहले से कोई कनेक्शन चल रहा है या उस पर बकाया है तो उक्त दशा में भार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- अनुबन्ध के समय किसी भी प्रपत्र की आवश्यकता पडने पर इकाई व उपभोक्ता को प्रेषित करना होगा।
- इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उल्लिखित विद्युत भार उपभोगन करने की दशा में भी उक्त स्वीकृत भार स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- कार्य करते समय किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आवेदन करने वाले की होगी। तथा विभाग में जमा धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(जगदीश पटेल)
अधिशाषी अभियन्ता
दिनांक.....

पत्रांक...../वि०वि०ख०-ल०(सु०)/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड चांदा को इस आशय से प्रेषित है कि उपभोक्ता का प्राक्कलन प्राथमिकता के आधार पर प्रेषित करे।
- उपभोक्ता को उपरोक्त पते पर।
- अनुबन्ध लिपिक।

(जगदीश पटेल)
अधिशाषी अभियन्ता